न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/85/2018

प्रवेश तिथि 06.06.2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार ग्राम व पोस्ट–मौठूका, तहसील–किशनगढबास (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25.07.2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 24.04.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से बी.पी.एल. हेतु आवेदन प्रक्रिया, नियमावली एव बी.पी.एल. सूची में नाम जोडने संबंधी समयावधि बाबत 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 30.05.18 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2018/408–09 दिनांकः 08.06.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 14.06.18 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया एवं जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्रांकः 451–52 दिनांकः 20.06.18 एवं 568 दिनांकः 29.06.18 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी कर पुनः जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ।
8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक कोई जवाब/प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है और प्रथम अपील में बार–बार जारी नोटिसों के बावजूद सुनवाई हेतु कोई उपस्थित भी नहीं हुआ। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

आवेदन–पत्र दिनांकः 24.04.18 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1)कसे 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार–बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की पालना के प्रति प्रत्यर्थी की लापरवाही, अकर्मण्यता एवं उदासीनता का प्रतीक है।

9. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। उक्त अपील प्रकरण में बार–बार जारी नोटिसों के बावजूद प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति व जवाब प्रेषित नहीं करने के लिए जिला कलक्टर महोदय, अलवर को प्रथक से लिखा जावे।

10. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 10 दिवस में अपीलार्थी को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 24.04.2018 में वांछित सूचना निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे एवं अभी तक आवेदक को सूचना प्रेषित नहीं किये जाने के संबंध में अधीनस्थ कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियमों में वर्णित प्रक्रियाधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

11. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ जिला कलक्टर महोदय, अलवर को भी प्रेषित हो एवं प्रथम अपील में संलग्न होकर प्राप्त आई.पी.ओ. संख्या 40F 986728 राशि रू. 10/- की प्रथम अपील में आवश्यकता नहीं होने के कारण अपीलार्थी को वापस किया जावे।

13. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)